5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

सत्य-प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

" विक्रय पत्र मालियत रूपये 5,00,000/= मुद्राक रूपये 20,000/=रूपये"

कागजात -4 दिनांक 23/03/2005

मैं पदम चन्द जैन उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री रामकरण जैन जाति महाजन निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं।

पदम चन्द

सचिव
बाबा नारायणदास महाविद्यालय
विराटनगर (जयपुर) राज.

लगातार- 2

पृष्ठ संख्या 9 ...... दिनांक 21-3-2005

दस्तावेज का मूल्य 20,000/- ...... प्रकार विक्रय पत्र

समन्वित ग्राम्य विकास शिक्षा संस्थान शाहपुरा जिला - जयपुर

निदेशक रघुवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री प्रकाश नारायण जाट नि० शाहपुरा

$\frac{5000}{4} = 20,000$

उप पंजीयक अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

यह दस्तावेज आज दिनांक 23/3/05

को दिन बुधवार समय ...... बजे

श्री पदमचन्द पुत्र श्री आशाराम

जाति महाजन निवासी विराटनगर

तहसील विराटनगर जिला जयपुर

के द्वारा उप पंजीयक विराटनगर के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

उप पंजीयक

तहसील विराटनगर (जयपुर)

पंजीयन फीस रु. 5000

मिलान फीस रु. 100

अन्य फीस रु. —

मुद्रांक कमी रु. 20,000

प्रति. शुल्क रु. 100

कुल राशि रु. 25,200 रु.

रसीद नं. 61 ...... दिनांक 23/3/05

द्वारा जमा किए गए।

उप पंजीयक विराटनगर (जयपुर)

पदमचन्द जैन

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

राजस्थान

// 2 //

जो कि ग्राम पापडी पटवार हल्का सोठाना तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान के आराजी खसरा नम्बर 935 रकबा 0.25 है0, आराजी खसरा नम्बर 936 रकबा 0.24 है0, आराजी खसरा नम्बर 937 रकबा 0.14 है0 किता 3 कुल रकबा 0.63 है0 किस्म बारानी द्वितीय सम्पूर्ण का मै स्वय खातेदार मालिक व कब्जे कास्त हूं । उक्त भूमि सिंचित है सडक से लगती हुई तथा आबादी से करीब 2 किलोमीटर से अधिक दूर है। इसके आसपास कोई सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय व्यावसायिक व औधोगिक प्रतिष्ठान नही है। उक्त भूमि किसी के रहन नही है। सभी प्रकार के आड भार व प्रतिबन्धों से पूर्णतया मुक्त व पवित्र है। वक्त जरूरत जिसको हर तरह से अन्तरित व बेचान करने का मुझे पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं ।

सत्य-प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

चूंकि मुझे अपने निजी कार्य के लिए रूपयों की आवश्यकता है इसलिए मैने अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि वाके ग्राम पापडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान के आराजी खसरा नम्बर 935 रकबा 0.25 है0, आराजी खसरा नम्बर 936 रकबा 0.24 है0, आराजी खसरा नम्बर 937 रकबा 0.14 है0 किता 3 कुल रकबा 0.63है0 सम्पूर्ण को नीव सीव इसमें खडें वृक्ष पूला पानी हक हकूक तमाम बाहरी भीतरी व सम्बन्धित हक मालिकाना सहित मुबलिक रूपये 5,00,000/= अक्षरे पांच लाख रूपये जरिये चैक के प्राप्तकर समन्वित ग्राम्य विकास शिक्षा संस्थान,शाहपुरा जिला जयपुर को जरिये निदेशक श्री रघुवीरसिंह

सचिव
बाबा ... महाविद्यालय
... (जयपुर) राज.

लगातार- 2

संख्या 9 दिनांक 21-3-2005

स्टाम्प का मूल्य 2,00,000/- बाबत विद्युत पत्र

समर्पित आम्रपाली शिक्षा संस्थान शाहपुरा जिला जयपुर

निदेशक रघुवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री प्रकाश नारायण जाट निवासी शाहपुरा

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

श्री पदम चन्द पुत्र [illegible]
जाति महाजन निवासी विराटनगर
तहसील विराटनगर जिला जयपुर
ने निष्पादन स्वीकार किया और खरीददार
से पहले ही ... रु. 5,00,000/-
अक्षरे पाँच लाख रुपये
की प्राप्ति को अंगीकार किया। निष्पादक व साक्षी
के हस्ताक्षर व अंगूठे विधिवत लिये गये हैं
प्रकरण सम्मानीय है।

उप पंजीयक
तहसील विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उप पंजीयक विराटनगर (जयपुर)

पदमचन्द

5000 RS.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. R$ 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

चौधरी पुत्र श्री प्रकाश नारायण चौधरी निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान को कतई विक्रय कर दी है। कीमत भूमि की तमाम राशि मैंने क्रेता से जरिये चैक न0 680743 पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त कर ली हैं । अब कोई राशि लेना शेष नही रहा है। उक्त भूमि से मैने अपना कब्जा हटाकर आज ही अपने समान कब्जा क्रेता का करवा दिया हैं । उक्त भूमि का मौके पर कब्जा हटा कर कब्जा सम्भला दिया हैं । उक्त भूमि से सम्बन्धित आज से पूर्व का किसी किस्म का अदालती व गैर अदालती वाद विवाद होगा तो उसको मै अपने स्वय के खर्चे से निपटाउगा।

अब उक्त क्रेता को अधिकार होगा कि अपनी खरीद शुदा भूमि का तथा इसमें स्थित पेड पौधों का उपयोग व उपभोग अपनी इच्छानुसार करे या इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करे या इसकी खातेदारी को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये तो इसमें मुझे कोई एतराज नही होगा ।

विक्रय की गई भूमि यदि क्रेता के कब्जे से निकल जाती है तो इसकी सम्पूर्ण राशि वापस करने की जिम्मेदारी मेरी होगी । अब क्रेता को पूर्ण हक व अधिकार होगा कि अपनी खरीद की गई भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र रहेगा । इसमें मुझे व मेरे किसी भी वारिसान या उत्तराधिकारी को कोई एतराज नही होगा। इस विक्रय पत्र की फोटो प्रति अपठनीय हो जाने पर जिम्मेदारी उभय पक्ष की होगी इसमें पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग की जिम्मेदार नही होगी।

सत्य-प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
बिराटनगर (जयपुर)

00000C

मुद्रांक का मूल्य .... 20,000/- बाबत विक्रय पत्र

नाम समन्वित ग्राम्य विकास शिक्षा संस्थान आहडपुरा जिला जयपुर

निदेशक रघुवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री प्रकाश नारायण जाति यादपुर।

निष्पादन कर्ता को श्री हनुमान सहाय
पुत्र .... आयु ....45 जाति ....
व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... आहडपुरा
जिला .... एवं श्री .... प्रभुदयाल
पुत्र श्री .... आयु ....45 जाति ....
व्यवसाय .... निवासी आहडपुरा तहसील .... आहडपुरा
जिला .... ने पहचान कर तसदीक की।

उप पंजीयक
तहसील विराटनगर (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) 5/8/12

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

// 4 //

अतएव यह विक्रय पत्र मालियत रुपये 5,00,000/= मुद्राक रुपये 20,000/=(5000x4) किता 4 पर मैने अपनी राजी खुशी पूर्ण होश हवास बिना किसी नशे पते के सोच समझ कर स्वच्छ चित व स्थिर बुद्धि की अवस्था में लिख दिया हैं कि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवें ।

साक्षी (1)

हस्ताक्षर विक्रेता

साक्षी (2)

हस्ताक्षर क्रेता

सत्य-प्रतिलिपि

उप पंजीयन अधिकारी

विराटनगर (जयपुर)

सचिव

23/3/05

क्रम संख्या ......9...... दिनांक 21-3-2005

मुद्रांक का मूल्य ...20,000/-... बाबत विक्रय पत्र

नाम सम्बन्धित ग्राम्य विकास शिक्षा संस्थान शाहपुरा जिला-जयपुर

पता/नामी निदेशक रघुवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री प्रकाश नारायण जाट नि. शाहपुरा।

(हस्ताक्षर)

मुद्रांक विक्रेता

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

सत्य–प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

आज दिनांक 28 माह 3 सन् 05

पुस्तक सं. 1 में पृष्ठ सं. 167

क्र. सं. 100 पर पंजिबद्ध किया गया

तथा अति. पुस्तक संख्या 85 पृ. सं. 686

से 693 तक चिपकाया गया।

(हस्ताक्षर)

उप पंजीयक

तहसील विराटनगर (जयपुर)